श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेलः dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइटः https://skncoa.sknau.ac.in

डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांकः एफ. ( )/सीएस/मुद्रण/श्रीकनकृमवि/2024/654 दिनांकः 04/07/2024

खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के द्वारा मैन्युवल **मुद्रण** का अनुमानित 7 लाख रूपये तक का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनांक 16.07.2024 को 11:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जमा करवा सकते हैं। उसी दिन दिनांक 16.07.2024 को 11:30 बजे अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में प्राप्त निविदायें कमेठी द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.sknau.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है एवं **https://sppp.rajasthan.nic.in** पर देखा जा सकता है। खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 500 व बोली प्रतिभूति (bid security) राशि के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 16.07.2024 समय 11:00 AM बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि खुली निविदा खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को https://sppp.rajasthan.nic.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड़ करवाना सुनिश्चित कराएं।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
7. कैशियर, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
8. नोटिस बोर्ड (नगरपालिका/नया बाजार/जोरपुरा), जोबनेर

अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329
फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेलः
dean.skncoa@sknau.ac.in
वेबसाइटः https://skncoa.sknau.ac.in

डॉ. एम. आर. चौधरी
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांकः एफ. ( )/सीएस/मुद्रण/श्रीकनकृमवि/2024/654 दिनांकः 04/07/2024

मुद्रण कार्य हेतु खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के द्वारा मैन्युवल मुद्रण का अनुमानित 7 लाख रूपये तक का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनांक 16.07.2024 को 11:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जमा करवा सकते हैं। उसी दिन दिनांक 16.07.2024 को 11:30 बजे अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में प्राप्त निविदायें कमेठी द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	बिड शुल्क (₹)	बिड प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	बिड प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	मुद्रण कार्य	7.00	0.14	500.00	16.07.2024 **11:00 AM तक**	16.07.2024 **11:30 AM तक**

खुली निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.sknau.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट अथवा https://sppp.rajasthan.nic.in पर देखा जा सकता है। **खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 500 व बोली प्रतिभूति (bid security) राशि के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक** 16.07.2024 **समय 11:00 AM बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।**

(एम. आर. चौधरी)
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर

खुली निविदा

मुद्रण फार्म हेतु बिड सूचना

बिड क्रमांक :	क्रमांकः एफ. ( )/सीएस/मुद्रण/श्रीकनकृमवि/2024/654 दिनांकः 04/07/2024
बिड दिनांक, समय व स्थान :	05.07.2024 समय दोपहर 12:00 बजे, अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	16.07.2024 समय 11:00 AM बजे तक
बिड प्रपत्र शुल्क: बिड प्रपत्र शुल्क:	₹ 500.00 अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के पक्ष में देय

खुली निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर में दिनांक 16.07.2024 समय 11:00 AM बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें।

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329
फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेलः
dean.skncoa@sknau.ac.in
वेबसाइटः https://skncoa.sknau.ac.in

डॉ. एम. आर. चौधरी
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांकः एफ. ( )/सीएस/मुद्रण/श्रीकनकृमवि/2024/654 दिनांकः 04/07/2024

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि – 16.07.2024 समय 11.00 AM तक
बिड प्रपत्र शुल्क–₹ 500.00

कार्य की अनुमानित लागत – ₹ 7.00 लाख
बोली प्रतिभूति (bid security)– ₹ 0.14 लाख

मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु बिड प्रपत्र

1. मुद्रण कार्य के लिए बिड :–
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व मेल सहित ....
....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
....
....
4. किसको संबोधित किया गया – अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर जयपुर।
6. बिड प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक....... .... अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के पक्ष मे देय, अधिष्ठाता कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है।
7. ....डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।
8. हम अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा जारी की गई बिड में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. बिड प्रपत्र के साथ संलग्न **<u>प्रपत्र 'ब'</u>** में मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है। **जीएसटी की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।**
10. मुद्रित सामग्री की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन/कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

11. मुद्रण कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा मुद्रित सामग्री विभिन्न चरणों में महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार आपूर्ति ली जाएगी।

12. बिड सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक **भौतिक रूप** (Physically) से अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर में प्रस्तुत कर दिया है।

13. बिड प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा VAT/CST/जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र **(प्रपत्र-'स')** संलग्न है।

15. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र-'द')** संलग्न है।

16. Price fall clause प्रमाण प्रत्र **(प्रपत्र-'य')** संलग्न है।

17. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **(प्रपत्र-'व')** संलग्न है।

18. **प्रपत्र 'र' Affidavit**

19. **प्रपत्र 'ल' FORM NO.1 [See rule 83 of RTPP]**

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

1. खुली निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस बिड का भाग मानी जाएगी।
2. केवल बिड फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र –'ब'** में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। महाविद्यालय के प्रोफार्मा के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्मा में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। **प्रपत्र –'ब'** में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई काँट छाँट (Over writing) नहीं है।
3. **महाविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जाएगी जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-**

I. बिड प्रपत्र शुल्क का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट।

II. बोली प्रतिभूति (bid security) शुल्क का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट। राजस्थान की लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति (bid security) में नियमानुसार छूट देय होगी ।

III. नवीनतम एवं वैध VAT/CST/GST चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

IV. मशीनरी से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है।

V. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 20.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु बिड दाता फर्म द्वारा संबंधित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाभ-हानि खाता, ऑडिटेड़ बैलेन्स शीट आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएँ।

VI. मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।

VII. यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का प्रमाण पत्र। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र –'र') में शपथ-पत्र भी संलग्न करना है।**

VIII. फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप **प्रपत्र 'स'** में)

IX. बिडदाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस बिड के लिए विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। महाविद्यालय अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।

X. वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र –'द')** अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित।

XI. Price fall clause प्रमाण पत्र **(प्रपत्र –'य')** ।

XII. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र <u>**(प्रपत्र –'व')**</u> ।

XIII. फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होने का प्रमाण-पत्र मय कार्यालय का पता, दूरभाष एवं सम्पर्क सूत्र प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नम्बर ।

उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (I) से (XIII) के अनुसार हो।

4. GST के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा कोई भी कर, चुंगी, उत्पाद शुल्क (Excise Duty), Cess आदि देय नहीं होगा।
5. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक बिडदाता द्वारा बिड प्रपत्र के संलग्न में ही प्रस्तुत की जाएगी।
6. **तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी।** तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर महाविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी बिड को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त की जा सकेगी।
7. बोली प्रतिभूति (Bid Security) यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी बिड के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप <u>(प्रपत्र –'र')</u> में शपथ-पत्र भी संलग्न करना है।**
8. राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना राजस्थान सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।
9. मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं समय-समय पर संशोधनों अनुसार दिया जाएगा।
10. बिडदाएँ, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह (90 दिवस) की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

11. फर्म को मुद्रित कागज पर मुद्रण कार्य की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से या कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। महाविद्यालय द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन सम्बन्धित इकाई प्रभारी से इकाई स्तर पर करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाएगाँ। प्रूफ/डमी को महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्चे पर मुद्रित कर महाविद्यालय को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार परिनिर्धारित क्षति (LD) की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि फर्म को प्रूफ अनुमोदन, अन्तिम प्रूफ अनुमोदन व आपूर्ति की कार्यवाही ईकाई स्तर पर ही करनी होगी।

12. **मुद्रण कार्य** बिड एवं कार्यादेश की शर्तो के अनुसार पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान महाविद्यालय द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

13. कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

14. बोली प्रतिभूति (Bid Security) **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013** के अन्तर्गत अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) जमा करवाया जाना आवश्यक हैं। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत की गई बोली प्रतिभूति (Bid Security) स्वीकार नही की जाएगी एवं इस स्थिति में खुली निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

15. फर्म को आदेशित सामग्री का मुद्रण आदेशित कागज पर विभिन्न निर्धारित जी.एस.एम. एवं साईज में ही निर्धारित स्फेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा। इससे जी.एस.एम. एवं साईज में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सारभूत परिवर्तन किये जाने पर महाविद्यालय को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जा सकेगी।

16. बिडदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, महाविद्यालय में स्वीकार करने एवं सामग्री का आवश्यकता होने पर नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
17. बिना बिड प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security) शुल्क के अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिड अस्वीकृत कर दी जाएगी।
18. सफल बिडदाता को अनुबंध राशि की **5%** कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा करानी होगी **जिसमे बोली प्रतिभूति** राशि समायोजित होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से रूप में जमा कराई जा सकती है तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) की राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में बैंक गारन्टी स्वीकार्य होगी।
19. बिड फार्म में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
20. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही बिडकारों से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती है तो क्रय समिति खुली निविदा को नामंजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।
21. किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को होगा।
22. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damage) राशि 2.5% से 10% वसूल की जाएगी (बिड प्रकाशन की वास्तविक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए)। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :–

1. विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

2. स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

3. यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

28. सफल बिडदाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही जैसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करना इत्यादि संपादित की जा सकेगी।

29 मुद्रण कार्य महाविद्यालय के निर्देशानुसार अनुमोदित डिजाइन के अनुसार करना होगा।

30. बिड में अंकित कार्य की मात्रा प्रतीकात्मक है उसमें कमी/वृद्धि भी की जा सकती है।

31. महाविद्यालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।

32. सफल बिडदाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए बिडदाता की कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

33. बिडदाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में बिड में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, महाविद्यालय, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को मुद्रित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए Price fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'य'** भी संलग्न करना होगा।

34. बिड की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 "खुली निविदा के लिए बिड एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।

35. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म बिड प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

36. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

37. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

38. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की

स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

39. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा महाविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगें।

1 **अपीलः**– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र –'ल')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित

करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है क्या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं; और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्ररूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप **(प्रपत्र –'ल')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

40. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

(एम. आर. चौधरी)
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329
फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेलः
dean.skncoa@sknau.ac.in
वेबसाइटः https://skncoa.sknau.ac.in

डॉ. एम. आर. चौधरी
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांकः एफ. ( )/सीएस /मुद्रण/श्रीकनकृमवि/2024/ दिनांकः

(मुद्रक बिड फार्म व तकनीकी बिड के साथ प्रिटिंग प्रेस संबंधी निम्नलिखित सूचना भी सलंग्न करें)

1. प्रिटिंग प्रेस का नाम ....
2. प्रिटिंग प्रेस का पूरा पता ....
   ....
3. प्रोपराइटर/साझेदार का नाम व घर का पता
   अ. ....
   ब. ....
   स. ....
4. फोन नंबर (कार्यालय) .... निवास..............................
   मोबाईल नंबर .... फैक्स नंबर ....
5. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस एवं फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
6. यदि प्रेस निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रति संलग्न करें।
7. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 20.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है।
8. मशीनरी से संबंधित विवरण **(प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा ई–बिड निरस्त कर दी जाएगी)।**

अ) कार्यरत ऑफसैट प्रेस

क.सं.	ऑफसैट मशीनों का विवरण मय मार्क	साईज	कलर	स्वचालित या हस्त चालित	इम्प्रेशन प्रति घंटा

ब) प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण

1.	फोटो कैमरा / स्केनर		....
2.	प्लेट मेकिंग / ब्लाक मेकिंग		....
3.	फोटो टाईप सेंटर / डी.टी.पी.उपकरण		....

स) बाइण्डिग मशीनरी उपकरण

1.	कटिंग मशीन की संख्या	:–	....
2.	फोल्डिंग मशीन की संख्या	:–	....
3.	स्टेचिंग मशीन की संख्या	:–	....

9. प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या :– ....

1.	कार्यालय	:–	....
2.	प्रोसेसिंग शाखा	:–	....
3.	मुद्रण शाखा	:–	....
4.	बाइण्डिंग शाखा	:–	....

10. साप्ताहिक अवकाश ....

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'ब'

FINANCIAL BID FOR QUOTED ITEM (s)

क्र.	विवरण	मात्रा				GST (%)	कुल रकम GST सहित
		100	200	500	1000		
1.	Manuals						
	साइजः चौडाई 8.5"X लंबाई 10.75"						
	मल्टी कलर कवर पेजः 300 GSM art paper						
	मल्टी कलर कवर पेजः 250 GSM art paper						
	इनर पेज मल्टी कलर : 120 GSM art paper						
	इनर पेज मल्टी कलर : 115 GSM art paper						
	इनर पेज मल्टी कलर : 90 GSM art paper						
	इनर पेज ब्लैक एण्ड व्हाइट : 120 GSM art paper						
	इनर पेज ब्लैक एण्ड व्हाइट : 115 GSM art paper						
	इनर पेज ब्लैक एण्ड व्हाइट : 90 GSM art paper						
	बाईडिंग चार्ज प्रति Manual						
	लेमिनेशन चार्ज						

नोट :– दरों का अंकन व शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा तथा जीएसटी आवश्यक रूप से दर्शाया जाना है।

नियम एवं शर्तें :–

1. बण्डल पैकिंग महाविद्यालय के निर्देशानुसार मलट पेपर (खाकी पेपर) से छः ओर पैकिंग की जानी होगी।
2. रेपर टंकित कर लगाया जाना होगा।
3. बण्डल पैकिंग व विवरण रेपर की दरें उक्त कार्य में सम्मिलित मानी जाएगी।
4. बाईन्डिंग कार्य में विभिन्न प्रकार के कार्य के विवरणानुसार अर्थात् स्पेशिफिकेशन के अनुसार गत्ता कार्य, गम की आवश्यकता होने पर बाईन्डिंग कार्य की दर पृथक से देय नहीं होगी।
5. मुद्रण कार्य के तहत् मद अधिक होने के कारण न्यूनतम दर दाता का निर्धारण दरों के समग्र विश्लेषण से किया जाएगा।
6. Manuals/Theroy Answer Book/ Practical book/Supplementary Answer Book का सेम्पल कार्यालय में आकर देखा जा सकता है।

<u>प्रपत्र –'स'</u>

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री के लिए ई–बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा खुली निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'द'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2020–21	
2	2021–22	
3	2022–23	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र – 'य'

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की राजस्थान राज्य में जहाँ कही भी आपूर्ति की जाएगी, उस आपूर्ति में वर्तमान ई–बिड की दर संविदा अवधि में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, महाविद्यालय, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कम दरों पर आपूर्ति की जाती है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>प्रपत्र –'व'</u>

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति **Sub-Standard** होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र 'र'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of Rs. 50/-)

I………………………….. S/o ………………………………. Aged…………… yrs, residing at ………………….. Proprietor/Partner/Director of M/s …………………… ………………….. do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s …………………….. has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center ……………….. The acknowledgment No. is ………………….Dated ……………….and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I…………………… S/o ………………..Aged ……………… yrs residing at ……………………….. Proprietor / Partner/ Director of M/s ……………….. verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

प्रपत्र 'ल'

FORM NO.1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No............. of ....
Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particular of appellant :
   (i). Name of the appellant:
   (ii). Official Address, if any:
   (iii). Residential address:

2. Name and address of the respondent (S) :

   (i). ....
   (ii). ....
   (iii). ....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Ground of appeal:

   ....
   ....
   .... (Supported by affidavit)

7. Prayer:
   ....
   ....

Place .... Date ....

....
Appellant's Signature